मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण

(म.प्र. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन)

खण्ड-2, पंचम तल पर्यावास भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल-462011

Tel. No. : (O) 0755-2572207, (F) 2573396 E-mail : ceomprrda@gmail.com

क्रमांक 15786/FA/2017 भोपाल, दिनांक : 27/06/2017

स्थाई आदेश क्रमांक – 05

-----00-----

1– मध्य प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण के निविदा प्रपत्र के अनुच्छेद–1.1 (GCC) में निहित प्रावधान तथा प्राधिकरण की साधिकार समिति की 54वीं बैठक (एजेन्डा आयटम क्रमांक–54/7) में लिये निर्णय अनुसार, कार्य के सुचारू संचालन, त्वरित निर्णय व्यवस्था एवं कार्य निष्पादन में गति प्रदान करने के उद्देश्य से निविदा प्रपत्र में नियोजक के लिए वर्णित निम्न अधिकार कॉलम क्रमांक 5 में अंकित अधिकारियों को प्रत्यायोजित किये जाते है :

स.क्र.	निविदा प्रपत्र	अनुबंध की कंडिका संदर्भ	विषय	अधिकारी का पदनाम जिसे अधिकार प्रत्यायोजित किये जा रहे है।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	(a) SBD for Construction & Maintenance of PMGSY works – Sept. 2016. (b) Bidding document for Construction & Maintenance (ADB - RRS II) Nov-2009 & PMGSY- RCIP March-2012.	44	Liquidated Damages.	Engineer-in-Chief

27/6

2	(a) SBD for PMGSY- January 2008 & Sept. 2016 . (b) Bidding document for Construction & Maintenance (ADB - RRS II) Nov-2009 & PMGSY- RCIP March-2012. (c) Tender document for Repaire & Maintenance for Rural Roads – Sept. 2007 & Dec. 2015.	24	Disputes relating to termination of contract under clause 52.1 (GCC) and action under clause 33 – (GCC).	Engineer-in-Chief MPRRDA.
			All other disputes	Reginal Chief General Manager MPRRDA

2— अनुच्छेद—24 के अंतर्गत प्रमुख अभियंता / मुख्य महाप्रबंधक द्वारा पारित निर्णय के विरूद्ध अपील मुख्य कार्यपालन अधिकारी को 15 दिन की समयसीमा में की जा सकेगी।

3— उपरोक्तानुसार अनुच्छेद 44 के अंतर्गत प्रस्तुत किये जाने वाले Liquidated Damages संबंधी समस्त आवेदन निर्धारित प्रारूप में ही मान्य किये जाएंगे। महाप्रबंधक द्वारा भी निर्धारित किये गये प्रारूप में प्रत्येक प्रकरण का विस्तृत विश्लेषण समय सीमा में प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।

4— अनुच्छेद 24 के अंतर्गत प्रमुख अभियंता या क्षेत्रीय मुख्य महाप्रबंधक को प्रस्तुत किये जाने वाले प्रकरण या मुख्य कार्यपालन अधिकारी को प्रस्तुत की जाने वाली अपील निर्धारित प्रारूप में ही संबंधित अधिकारी के सम्मुख प्रस्तुत किया जाना होगा।

5— निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत न किये जाने वाले प्रकरण/अपील पर कार्यवाही नहीं की जाएगी। प्रमुख अभियंता द्वारा प्रारूपो का निर्धारण कर उसे प्राधिकरण की बैवसाईट पर प्रदर्शित किया जाए।

6— प्रत्येक प्राधिकारी द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले प्रकरणो/अपीलो को दायर पंजी में दिनांकवार दर्ज करने की कार्यालयीन व्यवस्था की जाए एवं सुनवाई की दिनांक भी उसी कमानुसार निर्धारित किया जाए। यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रकरणो/अपीलो का शीघ्रता से निराकरण हो।

8/2/16

7– प्रकरणो/अपीलो की सुनवाई के लिये उभयपक्षो को स्पीड पोस्ट के माध्यम से एवं यथासंभव व्यक्तिगत् रूप से भी प्रकरणो/अपीलो की सुनवाई की सूचना तामिल कराई जाए। प्रकरणो में सूचना प्राप्त होने का प्रमाण/स्पीड पोस्ट की रसीद भी अनिवार्यतः संधारित की जाए।

8– प्रकरण/अपील प्रस्तुत करने वाले पक्ष सूचना पत्र प्राप्त होने के बावजूद यदि बिना किसी वैध/उचित कारण से अनुपस्थित रहता है तो ऐसे प्रकरणो/अपीलो को उस स्तर पर ही समाप्त कर दिया जाए।

(नीतेश व्यास)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण
पर्यावास भवन, भोपाल

पृ.क्र./15787/22/वि–12/म.प्र.ग्रा.स.वि.प्रा/2017 भोपाल, दिनांक:27/06/2017

प्रतिलिपि :

1. प्रमुख अभियंता, म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, मुख्यालय भोपाल।
2. समस्त मुख्य महाप्रबंधक, म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण।
3. समस्त महाप्रबंधक, म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण।
4. वित्तीय सलाहकार, म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, मुख्यालय भोपाल।
5. गार्ड फाइल के लिए एक प्रति सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण
पर्यावास भवन, भोपाल